न्यायालय अपर कलेक्टर एवं अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार
कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

सू.का.अधि. अपील प्र.क्र.51 / 2017–18

श्री रामकृपाल राठौर पिता श्री बलभद्र प्रसाद राठौर निवासी खोखरा तहसील व थाना जांजगीर जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) .... अपीलार्थी

बनाम

जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) ....उत्तरवादी

आदेश
(आज दिनांक 09.07.2018 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी श्री रामकृपाल राठौर पिता श्री बलभद्र प्रसाद राठौर निवासी खोखरा तहसील व थाना जांजगीर जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रारंभ किया गया।

अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर जांजगीर जिला जांजगीर–चांपा के समक्ष दिनांक 04.5.2018 को डाक के माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ग्राम पंचायत खोखरा में आज तक प्रधान मंत्री शौचालय योजना के तहत आहरित व्यक्तियों की सूची की जानकारी मांग किया गया था। नहीं दिये जाने पर इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत अपील आवेदन के संबंध में जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर जांजगीर –चांपा (छ.ग.) को ज्ञापन क्रमांक 9137 / अपील / सू.का.अ. / 2018 / जांजगीर, दिनांक 12.06.2018 को पत्र प्रेषित कर जानकारी / जबाव मांगी गई एवं अपीलार्थी को पृष्ठांकन पत्र क्रमांक 9138 / अपील / सू.का.अ. / 2018 जांजगीर, दिनांक 12.06.2018 के द्वारा सुनवाई तिथि 25.06.2018 को उपस्थित होने हेतु सूचना दी गई।

जन सूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर–चांपा के द्वारा प्रेषित ज्ञापन कमांक 9249 / सू.का.अधि. / 2018 जांजगीर, दिनांक 13.06.2018 द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय के ज्ञापन कमांक 7217 / सू.का.अधि. / 2018 जांजगीर दिनांक 05.05.2018 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत लोक प्राधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायज जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा को मूलतः हस्तांतरित किया जाकर आवेदक को पृष्ठांकित प्रति द्वारा सूचना किये जाने की जानकारी दी गई है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर–चांपा के समक्ष दिनांक 04.5.2018 को डाक के माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ग्राम पंचायत खोखरा में आज तक प्रधान मंत्री शौचालय योजना के तहत आहरित व्यक्तियों की सूची की जानकारी मांग किया गया था। नहीं दिये जाने पर इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर जांजगीर–चांपा के ज्ञापन कमांक 9249 / सू.का.अ. / 2018 जांजगीर, दिनांक 13.06.2018 एवं ज्ञापन कमांक 7217 / सू.का.अधि. / 2018 जांजगीर, दिनांक 05.05.2018 अनुसार आवेदक का मूल आवेदन पत्र एवं स्टाम्प

सहित सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत लोक प्राधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर जिला जांजगीर–चांपा को हस्तांतरित किया गया है एवं पृष्ठांकित प्रति द्वारा आवेदक को सूचना दिया जाना पाया गया। अस्तु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

9.7.18

(डी.के.सिंह)
अपर कलेक्टर
एवं अपीलीय अधिकारी
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार कार्यालय कलेक्टर जांजगीर–चांपा,छ.ग.

पृ.क्र./ 10869 /अपील/सू.का.अधि/2018 जांजगीर, दिनांक 11/07/2018

प्रतिलिपि :–

1. जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर जांजगीर जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र एनआईसी जांजगीर जिला जांजगीर–चांपा की ओर आदेश की प्रति अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।
3. श्री रामकृपाल राठौर पिता श्री बलभद्र प्रसाद राठौर निवासी खोखरा तहसील व थाना जांजगीर जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ।

(डी.के.सिंह)
अपर कलेक्टर
एवं अपीलीय अधिकारी
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)